

नगर पालिका, कठुमर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/Kathumar/FIRENOC/2025-26/60562
जारी दिनांक: 23-DEC-2025 वैधता दिनांक: 22-DEC-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: RAJIV YUVA
आवेदक का पता: SWAMI VIVEKANAND GOVT MODAL SCHOOL
KATHUMAR ALWAR

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत
आपके भवन SWAMI VIVEKANAND GOVT MODAL SCHOOL KATHUMAR, 0, BARODAKAN, BARODAKAN,
, ALWAR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान, अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए
गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अस्थायी
(Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे।
2. फायर वाहन का आवागमन सुगम रखने के लिये पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
3. नगरपालिका द्वारा कभी भी फायर सेप्टी हेतु परिसर का निरीक्षण किया जा सकता है।
4. किसी भी अग्नि दुर्घटना के लिये नगरपालिका प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
5. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक के आवेदन में दी गई जानकारी अनुसार मौका निरीक्षण अनुसार व शपथ पत्र के अनुसार जारी किया गया है। यह प्रमाण पत्र किसी भी निर्मित भवन/परिसर या भूमि को नियमन के लिये अनुमोदित अथवा स्वामित्व/हक/निर्माण स्वीकृति, अधिवास की स्वीकृति, पूर्णता प्रमाण पत्र अथवा भू उपयोग परिवर्तन अनुमोदन नहीं माना जावेगा, तथा इस संबंध में नियमानुसार पृथक से आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।
6. यह अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल मात्र संदर्भित सम्पत्ति के अग्निशमन की दृष्टि से सुरक्षित किये जाने हेतु निर्देश होंगे। जिसमें उल्लेखित शर्तों/प्रक्रिया के पालन हेतु अनापत्तिधारी बाध्य रहेगा।
7. समय पर नवीनीकरण नहीं कराने की स्थिति में नियमानुसार शारित रु.5000/- देय होगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने से 15 दिवस पूर्व विधिवत ऑनलाईन फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण हेतु आवेदन करना होगा।
8. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रक्रांक पं.11(9) नविवि/2020 पार्ट जयपुर दिनांक 14.09.2023 में वर्णित प्रावधानों के अधीन जारी किया गया है इसकी पालना सुनिश्चित की जावे।
9. भवन के समस्त स्टॉफ व सिक्वोरिटी गार्ड को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाना होगा।
10. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत भी यदि फायर संबंधित कोई घटना घटित होती है। तो जारी की गई फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जावेगा। तथा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
11. समुचित फायर उपकरण चालू हालात में नहीं पाये जाने पर संबंधित परिसर के अधिभोगी/अनापत्तिधारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की दी जावेगी।
12. उक्त प्रमाण को किसी भी प्रकार से भवन निर्माण स्वीकृति, उपयोग/उपभोग स्वीकृति एवं भू-रूपान्तरण/परिवर्तन उपयोग हेतु नहीं समा जावे।
13. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है, तो प्रबंधक को मान्य होगा।
14. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा एवं पॉवर सिस्टम कार्यरत नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जावेगा।



Signed by: Vikrant Sharma
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: Kathumar, Rajasthan
Date: 23/12/2025 17:17:43

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, कठुमर

नगर पालिका, कठुमर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

15. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए, एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रखरखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
16. भूमि व भवन से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
17. यदि आगजनी से कोई दुर्घटना एवं जनहानी होती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदित संस्था की होगी।



Signed by: Vikrant Sharma
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: Kathumar, Rajasthan
Date: 23/12/2025 17:17:43

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, कठुमर